जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर
(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

ऋचा उपाध्याय, एच0जे0एस0
अपर जिला जज/सचिव (पूर्णकालिक)

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
जनपद दीवानी एंव फौजदारी बार एसोसिएशन
जनपद गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 473 /डीएलएसए/गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 11.10.2023

विषयः मध्यस्थता केन्द्र में एक रिक्त पद पर मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के तत्वाधान में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में एक रिक्त पद पर मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त किये जाते है।

मध्यस्थ का चयन उत्तर प्रदेश शाशन न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या–10/2021/195 सात–न्याय–2–2021–31 जी/2008 लखनऊः दिनांकित 23 मार्च 2021 अधिसूचना के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल प्रकिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुसार निम्न अर्हताओं के अन्तर्गत किया जाना हैं।

(क) ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(ख) सेवानिवृत्त जिला एंव जिला न्यायाधीश/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश;

(ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम स कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि क्षेत्र में सुपरिचित हों;

अतः आपसे अनुरोध हैं कि मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के रूप मे नामित एंव प्रशिक्षित किये जाने हेतु जनपद बार संघ के सम्मानित सदस्यगणों को सूचित करवाते हुये इच्छुक एंव विधिक सेवा कार्यकमों के प्रति समर्पित अधिवक्ता को अनुसूची–एक (प्रति संलग्न) में दिये गये प्रपत्र में अन्तर्विष्ट आवेदन दिनांक 19.10.2023 की सांय 5:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर, गौतमबुद्धनगर में उपलब्ध कराने कराने का कष्ट करें। आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियत तिथि 19.10.2023 सांय 5:00 बजे के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

भवदीया

दिनांक: 11.10.2023

अपर जिला जज/
सचिव, (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः

1– मा0 उच्च न्यायालय की वेव साईट पर अपलोड करने हेतु।
2– जिला न्यायालय की वेव साईट पर अपलोड करने हेतु।
3– जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4– वाह्य न्यायालय जेवर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6– जनपद दीवानी एंव फौजदारी बार एसोसिएशन जनपद गौतमबुद्धनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7– कलेक्ट्रेट न्यायालय गौतमबुद्धनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8– तहसील मुख्यालय सदर, दादरी व जेवर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9– जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को प्रेषित कि वह समस्त समाचार पत्रों, इलैक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

अनुसूची--एक

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1 नाम:

2 पिता का नाम:

3 पता:

(क) कार्यालय:

(ख) निवास:

4 दूरभाष संख्या:

(क) कार्यालय:

(ख) निवास:

5 मोबाइल संख्या:

(क) कार्यालय:

(ख) निवास:

6 ई-मेल आईडी:

7 शैक्षणिक अर्हताएं:

8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:

9 तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:

10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:

11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:

(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)

12 क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?

13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?

14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?

15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतद्द्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह अभिपुष्टि देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।